कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक 39274 263 / स्था. / प्र.अ. / 22 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04 / 05 / 2023

कलेक्टर जिला सुकमा (छत्तीसगढ़) के विज्ञापन क्रमांक / 2550 / विशेष भर्ती / 2021 दिनांक 26.10.2021 द्वारा सुकमा जिले के स्थानीय निवासियों से जिले के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के सहायक ग्रेड–3 (तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सुकमा जिले के ही पात्र व इच्छुक स्थानीय अभ्यर्थियों से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

तत्पश्चात् कलेक्टर, जिला सुकमा (छत्तीसगढ़) के पत्र क्रमांक / 114 / क / वि. भर्ती / 2022–23 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध कराये गये सूची के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड–3 के पद पर वेतन मैट्रिक्स रूपये 19500–62000 (लेवल–4) के न्यूनतम का 70% निश्चित वेतन प्रतिमाह तथा अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में निम्नलिखित शर्तो पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :–

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	वर्ग	वर्तमान पता	पदस्थापना कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री बारसे राजमन पिता श्री बारसे दियारू	अनुसूचित जनजाति	वार्ड नं. 05, झापरा, हाऊस नं. 75, सुकमा जिला सुकमा (छ.ग.)	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा
2	श्री मडकम गौरव पिता श्री मड़कम हिंसा	अनुसूचित जनजाति	ग्राम दुब्बाटोटा, तहसील कोंटा जिला सुकमा (छ.ग.)	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा
3	श्री सोयम श्रीनू पिता श्री सोयम मुका	अनुसूचित जनजाति	ग्राम मुलाकिसोली, तहसील कोंटा,जिला सुकमा (छ.ग.)	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सुकमा संभाग सुकमा

2/ शर्ते :–

(1) यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 1–1 / 2017 / 1–3 दिनांक 08.03.2021 तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक 372 / 260 / वि / नि / चार / 2020 दिनांक 29.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार ''सहायक ग्रेड–3 के पद पर उन्हें 03 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है। इस दौरान उन्हें 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा : प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% एवं तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% देय होगा। संवर्ग में उनकी वरिष्ठता नियमित वेतनमान में नियुक्ति के दिनांक से निर्धारित की जावेगी।''

4/5/23

(2) **छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 9–1/2008/एक–3 दिनांक 03.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उन्हें मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र 02 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।**

(3) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और किसी भी समय एक माह का पूर्ण वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती है। यदि उक्त पद से उम्मीदवार त्याग पत्र देना चाहेंगे तो वह विभाग को एक माह का पूर्ण वेतन (महंगाई भत्ता सहित) या एक माह पूर्व नोटिस विभाग प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर यह रकम भू–राजस्व बकाया के तौर पर वसूल की जायेगी।

(4) चयनित सहायक ग्रेड–3 को कार्यग्रहण करने के पूर्व अपनी समस्त मूल प्रमाण पत्र पदस्थी कार्यालय के कार्यपालन अभियंता के समक्ष जांच करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(5) पदस्थी कार्यालय के कार्यपालन अभियंता द्वारा सहायक ग्रेड–3 के उपस्थिति प्रतिवेदन स्वीकार करने के पूर्व पात्रता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों तथा शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवासी एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सुक्ष्म रूप से जांच किया जायेगा एवं योग्य पाये जाने के पश्चात् ही उपस्थिति प्रतिवेदन स्वीकार किया जायेगा। कभी भी जांच करने पर कोई भी प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(6) कार्य पर उपस्थित होने के एक सप्ताह के भीतर सिविल सर्जन से शारीरिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पदस्थी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।

(7) पुलिस सत्यापन में आपराधिक या अन्य प्रकरणों में दोषी पाये जाने पर सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(8) चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 31-05-2023 तक पदस्थी कार्यालय में कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।

(9) पदस्थी कार्यालय में कार्यग्रहण हेतु किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

(10) छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती, नियम 2016 तथा सहपठित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 लागू होगी।

(11) चयनित अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

(12) **चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट क्रम अनुसार पृथक से किया जावेगा।**

3/ प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

4/5/23

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
4/5/23

पृष्ठाकंन क्रमांक 39274263/स्था./प्र.अ./22नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 04/05/2023

प्रतिलिपि :

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर संदर्भ में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(3) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर/ बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर

(4) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रायपुर/ बस्तर मंडल जगदलपुर

(5) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा/ सुकमा संभाग सुकमा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(6) संबंधित कुमारी/श्री ....

.... (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आप अपने उपस्थिति प्रतिवेदन पदस्थी कार्यालय में दिनांक 31-05-2023तक प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

(7) सर्वर प्रभारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर की ओर विभागीय वेबसाईट **pwd.cg.nic.in** में तत्काल अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4/5/23

सहपत्र : शून्य।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
04/5/22